



# मध्यप्रदेश प्राधिकरण, मध्यप्रदेश

## ३२. सिविल लाइन्स, मध्यप्रदेश

उत्तर प्रदेश योजना और विकास अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत स्वीकृति उपलब्ध (सुधारित उपलब्ध) फाइल संख्या..... ५६६/८१/४२

श्री/ श्रीमती/ कुमारी जगतपाला स्थिति दुर्घटना पर्याप्त निवासी मध्यप्रदेश लाइन्स श्री संजय सिंह सिंह द्वारा दिलाना स्थिति स्थल - सुकुमरपुर ठाना ओड़ा - बिशवाला लाइन्स, अमृतपुर।

जिन्होंने प्रदेश नगर योजना और विकाश अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिनांक ०६/०९/१२ को दिया। को निर्माण कार्य करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ आज दिनांक ०९.०९.२०२० से ०८-११-२०१७ को दी जाती है।

- (१) निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार किया जायेगा।
- (२) निर्माणित कार्य का कोई भी भाग सरकार अथवा नगर पालिका की भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा और न वह उन पर प्रोजेक्ट करेगा।
- (३) निर्माण को अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में अनुमति प्राप्तकर्ता इस विकास प्राधिकरण को निर्माण की प्रगति के बारे में निम्नलिखित सूचना देगा—
  - (क) निर्माण प्रारम्भ करने की तिथि.....
  - (ख) नींव भरे जाने के पश्चात् तथा दीवार उठने से पूर्व .....
  - (ग) स्वीकृत के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण होने की तिथि, यह प्रवेश के पूर्व .....
- (४) दी गई अनुमति के बाल पाँच वर्ष के लिए मान्य होगी, जिसके भीतर इमारत पूर्ण रूप से बनाने का प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा और ऐसा न होने पर यदि अनुमति प्राप्तकर्ता उचित समय के प्रार्थना करें तो स्वीकृति एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी जाएगी परन्तु वह बढ़ाव उक्त समय के भीतर लिए लागू नियमों के अधीन होगा। स्वीकृति अवधि के पश्चात् किया गया निर्माण अवैध समझा जाएगा।

- (५) कोई भी नई बनाई गई फिर से बनाई गई या रद्दो बदल की गई इमारत के पूर्ण भाग में उक्त समय तक रहने की आज्ञा नहीं होगी तब तक ऐसा करने के लिए नगर पालिका, मध्यप्रदेश सर्टाफिकेट न प्रस्तुत किया जाये जिसमें यह लिखा हो कि इमारत हर प्रकार के नियमों के अनुकूल है तथा उपबन्धों की पूर्ति करती है और रहने योग्य है।
- (६) उपर्युक्त निर्माण इंडियन इलेक्ट्रिकलिस्टी रूल्स १९५७ के नियमों ७९ तथा ३० के अनुसार किया जायेगा और उस सम्बन्ध में पूरी जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
- (७) रेन वाटर हार्डिंग का प्राविधिक करना होगा।
- (८) स्थल पर वृक्ष, कदम्ब, अशोक आदि के लगाने होंगे।

उपाध्यक्ष

४९/११/१२